ISSN: 2395-7852

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

Volume 11, Issue 3, May-June 2024

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

IMPACT FACTOR: 7.583

| www.ijarasem.com | ijarasem@gmail.com | +91-9940572462 |

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 7.583 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 11, Issue 3, May-June 2024 |

अन्तराष्ट्रीय प्रवास- कारण, प्रकार और प्रभाव

Hemant Kumar

M.A, Department of Geography, NET, SET, B.Ed., Raipur, Beawar, Rajasthan, India

सार: अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के मुख्य कारण क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के मुख्य कारण व्यक्ति के लिए बेहतर जीवन बनाना है। वे बेहतर आर्थिक या शैक्षिक अवसर या परिवार के साथ पुनर्मिलन की तलाश कर सकते हैं, या वे युद्ध, प्राकृतिक आपदा या जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से भाग रहे हो सकते हैं। दुनिया आपस में जुड़ी हुई है, वैश्वीकृत है, और हर दिन छोटी होती जा रही है क्योंकि अलग-अलग देशों और राष्ट्रीयताओं के लोग एक-दूसरे से मिलते-जुलते रहते हैं। ट्रांसनेशनल प्रवासी इस प्रक्रिया में योगदान देते हैं क्योंकि वे दुनिया भर में घूमते समय कहानियों और संस्कृतियों को साझा करते हैं।

I. परिचय

प्रवासन लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी या अस्थायी रूप से जाना है। जनसंख्या पुनर्वितरण मुख्य रूप से प्रवासन से प्रभावित होता है। भारत ने अपने पूरे इतिहास में दुनिया भर से प्रवास की लहरें देखी हैं। दक्षिण-पूर्व एशिया, साथ ही मध्य और पश्चिम एशिया ने सबसे ज़्यादा प्रवासी भेजे हैं। उन्होंने भारत के कई क्षेत्रों में खुद को और अपने घरों को बसाया है। इस तरह, बड़ी संख्या में भारतीयों ने दुनिया के दूसरे हिस्सों में बेहतर अवसरों की तलाश में अपनी मातृभूमि छोड़ दी है।

लोगों के पलायन का एक मुख्य कारण बेहतर जीवन की तलाश है। कई भारतीय प्रवासियों को उत्तर और दक्षिण अमेरिका , पश्चिमी यूरोप, मध्य पूर्व, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में रहने की जगह मिलती है। कुछ लोग काम के अवसरों की तलाश में, परिवार से मिलने या पढ़ाई करने के लिए पलायन करते हैं। अन्य लोग संघर्ष या मानवाधिकारों के उल्लंघन से बचने के लिए पलायन करते हैं। फिर भी अन्य लोग जलवायु परिवर्तन आदि के प्रतिकूल प्रभावों के जवाब में पलायन करते हैं।

प्रवासन बेहतर बसावट की तलाश में दूसरे देश, राज्य या पड़ोस में जाने की प्रक्रिया है। जब कोई व्यक्ति किसी स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और जिस स्थान पर वह जाता है, उसे क्रमशः मूल स्थान और गंतव्य स्थान कहा जाता है।[1,2,3]

प्रवास का अर्थ
प्रवास का तात्पर्य व्यक्तियों या लोगों के समूहों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से है, आमतौर पर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार। यह आंदोलन अस्थायी या स्थायी हो सकता है और विभिन्न कारणों से हो सकता है, जैसे कि आर्थिक अवसर, बेहतर रहने की स्थिति, संघर्ष या उत्पीड़न से बचना, या परिवार के साथ रहना

प्रवास को कुछ प्रमुख समूहों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले, प्रवास को आंतरिक या अंतर्राष्ट्रीय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। किसी भी राष्ट्र के अंदर लोगों और परिवारों का आवागमन होता है (जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में), लेकिन ये एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में होने वाले आवागमन के समान नहीं हैं। दूसरा, प्रवास मजबूर या स्वैच्छिक हो सकता है। स्वैच्छिक आवागमन का अधिकांश हिस्सा, चाहे वह घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय, अधिक अनुकूल आवास या रोजगार की स्थिति की तलाश में किया जाता है। जिन लोगों को जबरन गुलाम या कैदी के रूप में स्थानांतरित किया गया है, या जिन्हें युद्ध या अन्य राजनीतिक अशांति के दौरान उनकी सरकारों द्वारा बाहर निकाल दिया गया है, वे आम तौर पर जबरन प्रवास के विषय होते हैं। युद्ध, भुखमरी या प्राकृतिक आपदाओं से शरणार्थियों का स्वैच्छिक प्रवास इन दो प्रकारों के बीच आता है।

प्रवास के कारण
प्रवासन के विकल्प कई कारकों से प्रभावित होते हैं। अपने जन्मस्थान से दूर जाना कभी भी आसान नहीं होता। ज़्यादातर लोगों का उस स्थान से बहुत गहरा भावनात्मक रिश्ता होता है। इसके बावजूद लाखों लोग अपने जन्मस्थान को छोड़कर पलायन करते हैं। प्रवासन पर विचार करते समय लोगों के पलायन के कारणों को दो शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है।

आगे बढ़ाने वाले कारक
ये ऐसी चीजें हैं जो लोगों को उनके अपने देश से दूर ले जाती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उन्हें अपने ग्रामीण जन्मस्थान को छोड़कर शहरी क्षेत्रों में पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हालाँकि गरीबी एक प्रमुख योगदान कारक है, लेकिन अन्य कारक भी पलायन को प्रोत्साहित करते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुँच की कमी और भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या का दबाव।

इनके अलावा, स्थानीय हिंसा और प्राकृतिक आपदाएँ जैसे बाढ़, चक्रवाती तूफान, सूखा, भूकंप आदि अन्य कारण हैं जिनकी वजह से लोग ग्रामीण क्षेत्र से पलायन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निवासियों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढाँचा नहीं है। इस प्रकार वे प्रकृति के उतार-चढ़ाव के अधीन होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप लोगों और संपत्ति को नुकसान हो सकता है।

घटकों का प्रभाव
लोग कई तरह के आकर्षण कारकों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से महानगरों की ओर आकर्षित होते हैं। ग्रामीण प्रवासियों के लिए, कुछ हद तक अधिक वेतन के साथ लगातार रोजगार के अवसर प्राथमिक आकर्षण हैं।

बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुविधाएँ, ज़्यादा मनोरंजन के विकल्प और शैक्षिक सुविधाओं तक आसान पहुँच सभी प्रमुख आकर्षण कारक हैं। आम तौर पर, शहरी क्षेत्रों में रहने की परिस्थितियाँ बेहतर होती हैं। शहर में रहने के फ़ायदे बहुत हैं, जिनमें अच्छी तरह से बनाए गए स्वच्छता और स्वच्छता से लेकर अच्छी तरह से निर्मित आवास तक शामिल हैं।

II. विचार-विमर्श

प्रवास के प्रकार
प्रवासन वह शब्द है जब व्यक्ति किसी देश के अंदर या अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार स्थानांतरित होता है। प्रवासन पर शोध के माध्यम से यह पता चला है कि प्रवासियों को निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. प्रवासियों के मूल स्थान और गंतव्य पर विचार करना
क) आंतरिक प्रवास
किसी देश या राज्य की सीमाओं के अंदर रहने वाले लोग। किसी राज्य, क्षेत्र, शहर या नगर पालिका के भीतर निवास का स्थानांतरण आंतरिक प्रवास कहलाता है। आंतरिक प्रवास को चार प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है:

- ग्रामीण से शहरी प्रवास (आरयू) : बेहतर आजीविका और जीवन स्तर, अर्थात् रोजगार, शिक्षा और मनोरंजन सुविधाओं की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से निकटवर्ती कस्बों और शहरों की ओर जनसंख्या का प्रवास।
- ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास (आरआर) : अधिकतर लोग विवाह के कारण कृषि कार्य में लगे होते हैं, तथा कभी-कभी खेती के लिए भूमि की तलाश में होते हैं।
- शहर से शहर की ओर पलायन (यूयू): अधिक महत्वपूर्ण मुआवजे और व्यवसाय की संभावनाओं के लिए एक अन्य बाजार की तलाश में एक महानगरीय समुदाय से दूसरे महानगरीय समुदाय में स्थानांतरण से दरवाजे खुलते हैं।
- शहरी से ग्रामीण प्रवास (यूआर): वायु प्रदूषण, भीड़भाड़, ध्वनि प्रदूषण जैसी शहरी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए शहरी क्षेत्रों या शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर प्रवास, तथा नौकरी से सेवानिवृत्ति के बाद अपने मूल स्थान पर वापस लौटना।

ख) अंतर्राष्ट्रीय प्रवास
इससे पता चलता है कि लोग अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार जाकर बस रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी वह व्यक्ति होता है जो किसी दूसरे देश में जाकर बसता है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों को इसके अतिरिक्त इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है:[4,5,6]

- वैध आप्रवासी: वैध आप्रवासी वे व्यक्ति हैं जो लाभार्थी देश की वैध सरकार के साथ चले गए हैं।
- गैरकानूनी आप्रवासी : गैरकानूनी आप्रवासी वे व्यक्ति हैं जो वैध अनुमति के बिना चले गए हैं।
- शरणार्थी: शरणार्थी वे लोग हैं जो दुर्व्यवहार से बचने के लिए विश्वव्यापी सीमा पार कर गए हैं।

2. यह विचार करना कि प्रवासी किसी विशेष क्षेत्र में कितने समय से रह रहे हैं
यह ध्यान में रखते हुए कि प्रवासी किसी विशेष क्षेत्र में कितने समय से हैं, इसे निम्नलिखित में विभाजित किया जाता है:

- अल्पकालिक प्रवास : प्रवासी अपने घर वापस लौटने से पहले थोड़े समय के लिए ही बाहर रहते हैं। उदाहरण: पर्यटक, व्यापारिक यात्राएँ।
- दीर्घकालिक प्रवास: प्रवासी मूलतः कुछ वर्षों तक बाहर रहते हैं। उदाहरण: कंपनियाँ अपने कर्मचारियों को परियोजनाओं के लिए और छात्रों को शिक्षा के लिए भेजती हैं।
- मौसमी प्रवास : आम तौर पर, लोगों का एक समूह एक विशिष्ट मौसम के दौरान अपने स्थानीय स्थानों से चलता है और उस मौसम के खत्म होने के बाद वापस लौटता है। कृषि आधारित श्रम मौसमी प्रवास का एक उदाहरण है।

3. प्रत्येक व्यक्ति प्रवास के लिए कितना तैयार है, इस पर विचार करना
इसे निम्नलिखित में विभाजित किया गया है:

- स्वैच्छिक प्रवासन : यदि प्रवास प्रवासी की पसंद, ड्राइव और एक अच्छी जगह पर रहने की इच्छा पर होता है। उदाहरण: व्यवसाय कंपनी के सीईओ।

- अनैच्छिक प्रवास : यदि स्थानांतरण प्रवासियों की इच्छा के विरुद्ध होता है, तो इसे अनैच्छिक प्रवास कहा जाता है। उदाहरण: शरणार्थी।

प्रवास के लाभ

प्रवास के कुछ लाभ या फायदे निम्नलिखित हैं:

- प्रवासी अपने घरों में पैसा भेजते हैं, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के विकास में मदद मिलती है।
- अंतर्राष्ट्रीय भारतीय प्रवासी भारत में विदेशी मुद्रा के प्रमुख स्रोतों में से एक हैं।
- पंजाब, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों को अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से भारी मात्रा में धन प्राप्त होता है।
- पंजाब और हरियाणा में हरित क्रांति उत्तर प्रदेश और बिहार से लोगों के पलायन के कारण हुई।
- देश के भीतर संसाधनों के अनुसार जनसंख्या का संतुलित वितरण सुनिश्चित होता है।
- प्रवासी ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन के सेतु का काम करते हैं।
- नई प्रौद्योगिकियों से परिचित होना तथा लड़कियों की शिक्षा के महत्व को समझना रूढ़िवादी परिवारों में परिवर्तन को बहुत अधिक प्रभावित कर सकता है।
- विविध संस्कृतियों के लोगों का आपस में घुलना-मिलना तथा एक-दूसरे का सम्मान करना।
- संपर्क के कारण लोगों की मानसिकता बदल जाती है।

प्रवास का प्रभाव

हालाँकि प्रवास का विकल्प सही हो सकता है, लेकिन यह उन समुदायों के लिए समस्याएँ पैदा करता है जहाँ से प्रवासी आते और जाते हैं। प्रवास का राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है।

1. आर्थिक विकास

आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के प्रवासियों का योगदान उन क्षेत्रों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, जहाँ से वे चले गए हैं। धन का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिसमें भोजन खरीदना, ऋण चुकाना, विवाह करना, बीमारियों का इलाज करना, बच्चों को पढ़ाना, घर बनाना आदि शामिल हैं। इसके विपरीत, भारत के शहरी क्षेत्रों में अनियंत्रित प्रवास के परिणामस्वरूप अवांछनीय जनसंख्या घनत्व में वृद्धि और अधिक जनसंख्या होती है।

2. चुनौतियाँ और अवसर

प्रवासन चुनौतियों का सामना कर सकता है, जैसे स्थानीय संसाधनों पर दबाव या नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा। हालाँकि, यह वृद्धि और विकास के अवसर भी प्रस्तुत करता है, अगर इसे प्रवासियों और स्थानीय लोगों दोनों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए नीतियों के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाए।

3. सामाजिक परिणाम

शहरों में रहने से प्राप्त विचारों, प्रौद्योगिकी और जीवन कौशल का योगदान देकर, प्रवासी अपने गृह देशों में सामाजिक परिवर्तन लाने में मदद करते हैं। प्रवासन संस्कृतियों के सम्मिश्रण में भी योगदान देता है जिसके परिणामस्वरूप विविधता आती है। हालाँकि, परिवार से अलग रहने से अकेलापन और गुमनामी हो सकती है, जिससे लोग नशीली दवाओं के उपयोग और अपराध जैसी अवांछनीय गतिविधियों में भाग ले सकते हैं।

4. जनसांख्यिकीय परिवर्तन

कामकाजी उम्र की आबादी में, ग्रामीण इलाकों से पुरुष आबादी अपने आश्रितों को ग्रामीण इलाकों में छोड़कर महानगरों में चले जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप लिंगों का असंतुलित अनुपात होता है। पुरुष सहायता के बिना, महिलाओं को घरेलू जिम्मेदारियों के अलावा खेती का काम भी करना पड़ता है। साथ ही, मानव संसाधनों के नुकसान से[7,8,9] ग्रामीण क्षेत्रों का विकास बाधित होता है।

5. पर्यावरणीय परिणाम

ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन पहले से मौजूद सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे पर दबाव डालता है और इसका परिणाम शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के रूप में सामने आता है। झुग्गी-झोपड़ियाँ और अनियोजित बस्तियाँ बढ़ती हैं। कुछ स्थानों पर, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से प्रदूषण और संसाधनों की कमी होती है।

6. सांस्कृतिक आदान-प्रदान

प्रवासन से संस्कृतियों का आदान-प्रदान होता है। जब लोग किसी नई जगह जाते हैं, तो वे अपनी परंपराएँ, भाषाएँ और रीति-रिवाज़ साथ लाते हैं। यह सांस्कृतिक विविधता स्थानीय संस्कृति को समृद्ध बनाती है और परंपराओं का एक मिश्रण बनाती है।

7. वैश्विक कनेक्शन
प्रवासन दुनिया के विभिन्न हिस्सों को जोड़ता है। परिवार और समुदाय सीमाओं के पार संबंध बनाए रखते हैं, जिससे वैश्विक समाज में अधिक परस्पर जुड़ाव होता है।
2023 में हालिया आँकड़े और प्रवासन रुझान

- प्रवासन प्रबंधन में नए मॉडल : उभरते मॉडल प्रवासन प्रबंधन के साथ-साथ मानवीय सुरक्षा को बाहरी बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह प्रवृत्ति देशों द्वारा प्रवासन और शरणार्थी संरक्षण को संभालने के तरीके में बदलाव का संकेत देती है।
- घरेलू प्रवास में महामारी-प्रेरित बदलाव : COVID-19 महामारी ने अमेरिकी जनसंख्या गतिशीलता को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है, जिससे जन्म, मृत्यु और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पैटर्न प्रभावित हुए हैं।
- अमेरिका में प्रवासन रुझान : जनवरी से जून 2023 तक, अमेरिकी महाद्वीप में अत्यधिक कमजोर व्यक्तियों के प्रवासी आंदोलनों में वृद्धि हुई है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में वैश्विक वृद्धि : पिछले दशक में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में 27% की वृद्धि हुई है, जिसमें अधिकांश लोग विकासशील देशों से बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों की ओर जा रहे हैं।
- ओईसीडी देशों में रिकॉर्ड प्रवासन : 2022 में, ओईसीडी देशों में स्थायी प्रकार का प्रवासन 6.1 मिलियन नए स्थायी आप्रवासियों के साथ सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो साल-दर-साल 26% की वृद्धि दर्शाता है।

प्रवासन लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, चाहे वह देश के भीतर हो या अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार। भारत में, पूरे इतिहास में प्रवासन की लहरें चली हैं, जिनमें दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया से महत्वपूर्ण आंदोलन शामिल हैं। प्रवासन विभिन्न कारकों से प्रेरित होता है, जिसमें बेहतर अवसरों की तलाश, आर्थिक संभावनाएं और बेहतर रहने की स्थिति शामिल हैं। प्रवासन के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे आंतरिक (किसी देश के भीतर) और अंतर्राष्ट्रीय (सीमाओं के पार)। प्रवासन के कारणों में प्रतिकूल रहने की स्थिति जैसे पुश कारक और बेहतर रोजगार के अवसर जैसे खींचने वाले कारक शामिल हैं। प्रवासन के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकते हैं, जो आर्थिक विकास, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों में योगदान करते हैं। हालाँकि, यह संसाधनों पर दबाव और सामाजिक परिणामों जैसी चुनौतियाँ भी पेश करता है। प्रवासन के वर्गीकरण में स्वैच्छिक या अनैच्छिक आंदोलन, अल्पकालिक या दीर्घकालिक प्रवास और बहुत कुछ जैसे कारक शामिल हैं। कुल मिलाकर, प्रवासन एक जटिल घटना है जिसके व्यक्तियों और समुदायों पर विविध प्रभाव पड़ते हैं।[10,11,12]

III. परिणाम

विश्व प्रवास रिपोर्ट, आंतरिक प्रवास, इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन फॉर माइग्रेशन, सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के लिये ग्लोबल कॉम्पैक्ट, नीति आयोग, राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति का मसौदा, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्पलेक्सेज़, ई-श्रम पोर्टल, कोविड-19, कृषि का नारीकरण, चालू खाता घाटा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीएम गरीब कल्याण योजना, मानव प्रवास, भारत में प्रवास रिपोर्ट 2020-21

मेन्स के लिये:
प्रवास का महत्त्व, प्रवास में बाधाएँ, प्रवास पर केंद्रित नीति की आवश्यकता।

इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन फॉर माइग्रेशन (IOM) द्वारा जारी नवीनतम विश्व प्रवास रिपोर्ट (World Migration Report) इस बात की पुष्टि करती है कि भारत से संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब में होने वाला प्रवास शीर्ष 10 कंट्री-टू-कंट्री माइग्रेशन में शामिल है। भारत से पुरुष प्रवास कुल बाह्य प्रवास में लगभग 65% की हिस्सेदारी रखता है, जो दर्शाता है कि पुरुष प्रायः कार्य के लिये प्रवास करते हैं, जबकि महिलाएँ पीछे घर पर छूट जाती हैं।

वर्ष 2020 में भारत के लगभग 18 मिलियन लोग देश से बाहर रह रहे थे, जहाँ संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब सबसे बड़ी भारतीय प्रवासी आबादी की मेजबानी करते हैं। आंतरिक प्रवास और बाह्य प्रवास, दोनों ही आम तौर पर बेहतर आजीविका की खोज से प्रेरित होते हैं।

प्रवास (Migration) क्या है?
परिचय:
इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (IOM) की परिभाषा के अनुसार, प्रवासी (migrant) वह व्यक्ति है जो अपने सामान्य निवास स्थान को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार या किसी राज्य के भीतर स्थानांतरित हो रहा है या स्थानांतरित हो चुका है।
पैमाना, दिशा, जनसांख्यिकी एवं आवृत्ति के संबंध में प्रवास में परिवर्तनों का विश्लेषण प्रभावशाली नीतियों, कार्यक्रमों और व्यावहारिक हस्तक्षेपों के विकास को सूचना-संपन्न कर सकता है।
प्रवास के रूप और स्वरूप:

आंतरिक प्रवास (Internal migration): यह देश के भीतर होता है और इसे उद्गम एवं गंतव्य के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें ग्रामीण-शहरी प्रवास, अंतः राज्यीय प्रवास और अंतर-राज्यीय प्रवास शामिल हैं।
बाह्य प्रवास (External Migration): इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के रूप में भी जाना जाता है, जहाँ व्यक्ति या परिवार एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। यह विभिन्न कारकों से प्रेरित हो सकता है, जिसमें आर्थिक अवसर (जैसे भारतीय आईटी पेशेवरों का संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास या भारतीय निर्माण श्रमिकों का GCC देशों में प्रवास), शिक्षा, परिवार का पुनर्मिलन या उत्पीड़न अथवा संघर्ष से बचने के लिये शरण की मांग करना (जैसे बांग्लादेश में रोहिंग्या) आदि शामिल हैं।
भारत से विश्व के विभिन्न भागों में उत्प्रवासन (Emigration)।
विभिन्न देशों से लोगों का भारत में आप्रवास (Immigration)।
विवशतापूर्ण प्रवास (Forced migration): यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब युद्ध, उत्पीड़न या प्राकृतिक आपदाओं जैसे कारकों के कारण व्यक्ति या परिवार पलायन के लिये विवश होते हैं।
स्वैच्छिक प्रवास (Voluntary migration): यह वह स्थिति है जब व्यक्ति या परिवार प्रायः बेहतर आर्थिक संभावनाओं या जीवन की बेहतर गुणवत्ता की इच्छा से प्रेरित होकर दूसरे क्षेत्र की ओर पलायन करते हैं।
अस्थायी प्रवास (Temporary migration): यह संक्षिप्त अवधि का होता है, जैसे मौसमी या अस्थायी कार्य, जबकि स्थायी प्रवास में एक नए स्थान पर स्थायी रूप से बस जाना शामिल होता है।
उलट प्रवास या 'रिवर्स माइग्रेशन' (Reverse migration): यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ व्यक्ति या परिवार पहले कहीं और प्रवास करने के बाद अब अपने मूल देश या मूल निवास स्थान पर लौट रहे हैं।

प्रवास के विभिन्न कारण कौन-से हैं?
आर्थिक कारक:[13,14,15]
प्रतिकर्ष कारक (Push Factors): गरीबी, निम्न उत्पादकता और बेरोज़गारी जैसी आर्थिक कठिनाइयाँ 'पुश फैक्टर' के रूप में कार्य करती हैं और लोगों को अपने वर्तमान निवास क्षेत्र से पलायन के लिये प्रेरित करती हैं। उदाहरण के लिये, बार-बार सूखे के कारण कम पैदावार का संकट झेल रहे महाराष्ट्र के किसान निर्माण या सेवा क्षेत्र में रोज़गार के लिये पुणे या मुंबई जैसे बड़े शहरों की ओर पलायन का विकल्प चुन रहे हैं।
अपकर्ष कारक (Pull Factors): दूसरी ओर, बेहतर रोज़गार अवसर, उच्च वेतन और जीवन की बेहतर गुणवत्ता की संभावनाएँ 'पुल फैक्टर' के रूप में कार्य करती हैं और लोगों को नए स्थान पर जाने के लिये आकर्षित करती हैं। उदाहरण के लिये, उत्तर प्रदेश के किसी गाँव से एक युवा स्नातक उच्च वेतन और शहर में बेहतर जीवन के अवसर के कारण नोएडा या गुरुग्राम की ओर पलायन कर सकता है।
सामाजिक-सांस्कृतिक कारक:
प्रवास सामाजिक कारकों, जैसे विवाह, परिवार के पुनर्मिलन या अपने समुदाय या सामाजिक नेटवर्क के निकट रहने की इच्छा से प्रभावित हो सकता है।
इसके उदाहरणों में विवाह के कारण या जाति-आधारित भेदभाव एवं हिंसा से बचने के लिये होने वाला प्रवास शामिल है।
सांस्कृतिक कारक:
लोग उन क्षेत्रों में प्रवास कर सकते हैं जहाँ उनकी सांस्कृतिक प्रथाओं, परंपराओं एवं मान्यताओं का सम्मान और संरक्षण किया जाता है।
उदाहरण के लिये, एक समुदाय ऐसे क्षेत्र में प्रवास कर सकता है जहाँ उनके जातीय या धार्मिक समूह की सुदृढ़ उपस्थिति है, जिससे उन्हें अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने की अनुमति मिलती है।
राजनीतिक कारक:
राजनीतिक अस्थिरता, संघर्ष और उत्पीड़न व्यक्तियों को सुरक्षा की तलाश में पलायन करने के लिये विवश कर सकते हैं।
सरकारी नीतियाँ, प्रशासनिक कार्रवाई और अलगाववादी आंदोलन जैसे कारक भी प्रवास स्वरूप को प्रभावित कर सकते हैं।
पर्यावरणीय कारक:
प्राकृतिक आपदा, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, वनों की कटाई, जल की कमी आदि के कारण घरों, आजीविका एवं संसाधनों की हानि के परिदृश्य में भी पलायन हो सकता है।
प्रभावित आबादी सुरक्षा, संवहनीयता और बेहतर जीवन दशाओं की तलाश में पलायन करने के लिये मजबूर हो सकती है।
कुछ अनुमानों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण वर्ष 2050 तक भारत में लगभग 45 मिलियन लोग पलायन के लिये विवश हो सकते हैं।
विकास परियोजनाएँ: नर्मदा बाँध परियोजना और केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जैसी परियोजनाओं ने पलायन को बढ़ावा दिया है।
उदाहरण के लिये, नर्मदा नदी पर एक बड़ी बहुउद्देशीय नदी परियोजना 'सरदार सरोवर परियोजना' ने 40,000 से अधिक परिवारों को विस्थापित किया है, जिनमें मुख्य रूप से गुजरात, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के 245 गाँवों के जनजातीय परिवार शामिल हैं।

प्रवास से संबद्ध विभिन्न प्रभाव
सकारात्मक प्रभाव:

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 7.583 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|
| Volume 11, Issue 3, May-June 2024 |

आर्थिक विकास:
प्रवास श्रम अंतराल को दूर कर, उत्पादकता को बढ़ाकर और उपभोक्ता व्यय में वृद्धि कर आर्थिक विकास में योगदान दे सकता है।
प्रवास के परिणामस्वरूप प्रवासियों से धन-प्रेषण (remittances) प्राप्त होता है, जो उद्गम क्षेत्र के लिये विदेशी मुद्रा के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करता है।
वर्ष 2022 में भारत विश्व में धन-प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्त्ता था, जिसने 111 बिलियन डॉलर से अधिक प्राप्त किया, जिससे देश के चालू खाता घाटे को कम करने में मदद मिली।
सामाजिक प्रभाव:[16,17]
प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, जो शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों तक परिवार नियोजन और शिक्षा जैसे नए विचारों एवं प्रौद्योगिकियों के प्रसार को सुगम बनाते हैं।
सांस्कृतिक विविधता:
प्रवास सांस्कृतिक विविधता को भी बढ़ावा देता है और मिश्रित संस्कृतियों के विकास में योगदान देता है, जिससे लोगों का दृष्टिकोण व्यापक होता है।
प्रवास विभिन्न भाषाओं और परंपराओं को साथ लाकर रचनात्मकता एवं सहिष्णुता को बढ़ावा देते हुए समाज को समृद्ध बनाता है।
जीवन की गुणवत्ता में सुधार:
प्रवास से रोज़गार के अवसर और आर्थिक ख़ुशहाली की वृद्धि होती है, जिससे प्रवासियों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में वृद्धि होती है।
नवाचार:
प्रवासी प्रायः नए विचार, कौशल एवं प्रौद्योगिकियाँ लेकर आते हैं, जिससे मेजबान देशों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है।
श्रम बाज़ार में लचीलापन:
प्रवास से श्रम आपूर्ति और मांग को संतुलित करने में, विशेष रूप से कुशल श्रमिकों की कमी का सामना करने वाले क्षेत्रों में, मदद मिल सकती है।
नकारात्मक प्रभाव:
जनसांख्यिकीय प्रभाव:
प्रवास किसी देश के भीतर जनसंख्या पुनर्वितरण का कारण बनता है, विशेष रूप से शहरी जनसंख्या वृद्धि में योगदान देता है।
ग्रामीण क्षेत्रों से चयनात्मक बाह्य प्रवास या 'आउट-माइग्रेशन' (out-migration) विशेष रूप से आयु एवं कौशल वितरण के संदर्भ में नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है और कृषि के नारीकरण (feminization of agriculture) को बढ़ावा दे सकता है।
पर्यावरणीय प्रभाव:
ग्रामीण-शहरी प्रवास से शहरी क्षेत्रों में भीड़भाड़ बढ़ती है, मौजूदा अवसंरचना पर दबाव पड़ता है और इसके परिणामस्वरूप अनियोजित शहरी विकास एवं मलिन बस्तियों के उदय की स्थिति बनती है। उदाहरण के लिये, मुंबई की विशाल मलिन बस्ती आबादी (जो शहर की लगभग आधी आबादी है) ग्रामीण-शहरी प्रवास का प्रत्यक्ष परिणाम है।
अनियोजित बस्तियों के कारण बढ़ती यातायात भीड़ और अनौपचारिक अपशिष्ट निपटान पर निर्भरता भारतीय शहरों में वायु एवं मृदा प्रदूषण में उल्लेखनीय योगदान देती है।
सामाजिक तनाव:
प्रवास सामाजिक तनाव को बढ़ा सकता है, जिसमें नौकरियों, आवास और सामाजिक सेवाओं के लिये प्रतिस्पर्द्धा, साथ ही सांस्कृतिक संघर्ष एवं भेदभाव शामिल हैं।
प्रवास के कारण पारिवारिक अलगाव एवं भावनात्मक संकट पैदा हो सकता है और सामाजिक नेटवर्क में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है (विशेष रूप से तब जब परिवार के सदस्य उद्गम देश में पीछे रह जाते हैं)।
भारत में प्रवास संबंधी विभिन्न आँकड़े
भारत में प्रवास रिपोर्ट 2020-21:
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की जून 2022 की रिपोर्ट में अस्थायी आगंतुकों (temporary visitors) और प्रवासियों के लिये डेटा संकलित किया गया है। जुलाई 2020 से जून 2021 तक लगभग 0.7% आबादी अस्थायी आगंतुकों के रूप में दर्ज की गई थी।
इसी अवधि में अखिल भारतीय प्रवास दर 28.9% थी, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 26.5% तथा शहरी क्षेत्रों में 34.9% थी।
महिलाओं की प्रवास दर 47.9% (ग्रामीण क्षेत्रों में 48% एवं शहरी क्षेत्रों में 47.8%) और पुरुषों की प्रवास दर 10.7% (ग्रामीण क्षेत्रों में 5.9% एवं शहरी क्षेत्रों में 22.5%) दर्ज की गई।
86.8% महिला प्रवासियों ने विवाह के कारण पलायन किया, जबकि 49.6% पुरुष प्रवासियों ने रोज़गार की तलाश में पलायन किया।
वर्ष 2011 की जनगणना:
भारत में लगभग 45.36 करोड़ आंतरिक प्रवासी (internal migrants) थे, जो जनसंख्या के लगभग 37% भाग का प्रतिनिधित्व करते थे।
वार्षिक शुद्ध प्रवास प्रवाह [15,16,17](Annual net migrant flows) कार्यशील आयु आबादी के लगभग 1% का प्रतिनिधित्व कर रहा था। देश के कार्यबल का 48.2 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया था, जिसके वर्ष 2016 तक 50 करोड़ को पार कर जाने का आकलन किया गया।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 7.583 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|
| Volume 11, Issue 3, May-June 2024 |

प्रवास पर कार्यसमूह की रिपोर्ट, 2017:
भारत के कुल पुरुष 'आउट-माइग्रेशन' में शीर्ष 25% के लिये 17 ज़िले जिम्मेदार हैं, जिनमें से 10 उत्तर प्रदेश में, 6 बिहार में और 1 ओडिशा में है।
भारत में प्रवास से संबद्ध विभिन्न चुनौतियाँ कौन-सी हैं?
अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ: प्रवासी श्रमिकों के पास प्रायः आवश्यक सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा लाभों तक पहुँच की कमी होती है और कार्यस्थलों में न्यूनतम सुरक्षा मानकों के कानूनों का प्रवर्तन नहीं होता है, जिससे उन्हें असुरक्षित कार्य स्थितियों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिये, शहरी क्षेत्रों में प्रवासी निर्माण श्रमिकों के पास उचित सुरक्षा उपकरण तक पहुँच की कमी हो सकती है, जिससे दुर्घटनाओं एवं चोटों के प्रति उनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है।
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (2021-2022) के अनुसार, भारत में नियमित रूप से नियोजित गैर-कृषि श्रमिकों (जिनमें प्रवासी श्रमिक, स्व-नियोजित व्यक्ति और घर से कार्य करने वाले लोग शामिल हैं) में से आधे से अधिक (53%) के पास सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं हैं।
राज्य-प्रदत्त लाभों की सीमित सुवाह्यता: प्रवासी श्रमिकों को राज्य-प्रदत्त लाभों, विशेष रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से वितरित आवश्यक खाद्य आपूर्ति तक पहुँच में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिये, प्रवासी कृषि श्रमिकों को निवास स्थान संबंधी शर्तों के कारण अपने गंतव्य राज्यों में सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न तक पहुँच में संघर्ष करना पड़ सकता है।
सस्ते आवास और बुनियादी सुविधाओं की कमी: शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने वाले प्रवासी श्रमिकों को प्रायः सस्ते आवास प्राप्त करने और स्वच्छ जल, स्वच्छता सुविधाओं एवं बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उपयुक्त आवास और अवसंरचना तक पहुँच की कमी उनकी असुरक्षा में योगदान करती है तथा गरीबी के दुष्चक्र को बनाए रखती है।
कोविड-19 महामारी के प्रभाव: कोविड-19 महामारी ने प्रवासी श्रमिकों के समक्ष विद्यमान चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिये, लॉकडाउन के दौरान शहरी केंद्रों में फँसे प्रवासी दिहाड़ी मजदूरों को आय की हानि और आवश्यक सेवाओं तक पहुँच की कमी के कारण भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
शोषण और भेदभाव: प्रवासी श्रमिकों में श्रम बाज़ार में शोषण और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। प्रवासी स्थिति, जातीयता या भाषा के आधार पर उन्हें कम मज़दूरी, खतरनाक कार्य दशा और भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है।
देश में प्रवासी श्रमिकों के साथ हिंसा और भेदभाव के मामले राष्ट्रीय सुर्ख़ियों में आते रहे हैं।
वर्ष 2008 में महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासियों पर हुए हमले इसके भयावह उदाहरण हैं।
प्रवास के संबंध में प्रमुख सरकारी पहलें
नीति आयोग द्वारा वर्ष 2021 में पेश राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति के मसौदे में प्रवासियों को बेहतर दशाओं के लिये सौदेबाजी कर सकने में मदद करने के लिये सामूहिक कार्रवाई के महत्व पर चर्चा की गई।
इसके अतिरिक्त, एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेज़ (ARHC) और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत के साथ-साथ 'एक राष्ट्र- एक राशन कार्ड (ONORC) परियोजना का विस्तार किया गया है।
ई-श्रम पोर्टल का शुभारंभ भी प्रवासियों की स्थिति के लिये आशाजनक है।
सामाजिक सुरक्षा पर संहिता भी अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों के लिये बीमा एवं भविष्य निधि जैसे कुछ लाभ प्रदान करती है।[12,13,14]
अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और वैश्विक कार्रवाई:
वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने शरणार्थियों की बड़ी आवाजाही को संबोधित करने के लिये एक उच्चस्तरीय पूर्ण बैठक का आयोजन किया और "सुरक्षा एवं गरिमा: शरणार्थियों एवं प्रवासियों की बड़ी आवाजाही को संबोधित करना" (Safety and Dignity: Addressing Large Movements of Refugees and Migrants) शीर्षक रिपोर्ट तैयार की।
संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने 'शरणार्थियों और प्रवासियों पर न्यूयॉर्क घोषणा' (New York Declaration for Refugees and Migrants) को अंगीकृत किया है, जो सभी प्रवासियों की, चाहे उनकी प्रवासी स्थिति कुछ भी हो, सुरक्षा, गरिमा, मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिये प्रतिबद्ध है।
अंतर्राष्ट्रीय प्रवास तब होता है जब लोग राज्य की सीमाओं को पार करते हैं और कुछ समय के लिए मेज़बान राज्य में रहते हैं। [1] प्रवास कई कारणों से होता है। कई लोग दूसरे देश में आर्थिक अवसरों की तलाश में अपने देश छोड़ देते हैं। अन्य लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहने के लिए या अपने देशों की राजनीतिक स्थितियों के कारण प्रवास करते हैं। शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का एक और कारण है, क्योंकि छात्र विदेश में अपनी पढ़ाई करते हैं, हालाँकि यह प्रवास कभी-कभी अस्थायी होता है, पढ़ाई पूरी होने के बाद स्वदेश लौट आते हैं। [2]
प्रवासियों की श्रेणियाँ
जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों को वर्गीकृत करने के लिए कई अलग-अलग संभावित प्रणालियाँ हैं, एक प्रणाली उन्हें नौ समूहों में व्यवस्थित करती है;

- अस्थायी श्रमिक प्रवासी
- अनियमित, अवैध या बिना दस्तावेज वाले प्रवासी
- अत्यधिक कुशल और व्यावसायिक प्रवासी

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 7.583 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 11, Issue 3, May-June 2024 |

- शरणार्थियों
- शरण चाहने वाले
- जबरन पलायन
- परिवार के सदस्य
- वापस लौटे प्रवासी
- दीर्घकालिक, कम-कुशल प्रवासी [3]

इन प्रवासियों को भी दो बड़े समूहों में विभाजित किया जा सकता है, स्थायी और अस्थायी। स्थायी प्रवासी एक नए देश में अपना स्थायी निवास स्थापित करने और संभवतः उस देश की नागरिकता प्राप्त करने का इरादा रखते हैं। अस्थायी प्रवासी केवल सीमित अवधि के लिए रहने का इरादा रखते हैं, शायद अध्ययन के किसी विशेष कार्यक्रम के अंत तक या उनके कार्य अनुबंध या एक निश्चित कार्य मौसम की अवधि तक। [4] दोनों प्रकार के प्रवासियों का चुने हुए गंतव्य देश और मूल देश की अर्थव्यवस्थाओं और समाजों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। [5]

प्रवासियों को प्राप्त करने वाले देश

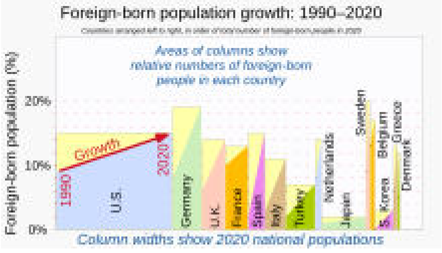

हाल के दशकों में, लगभग हर पश्चिमी देश में प्रवासन तेजी से बढ़ा है। [6] अलग-अलग रंग के स्तंभों के शीर्ष की ढलान संबंधित देशों में रहने वाले विदेशी मूल के लोगों में प्रतिशत वृद्धि की दर दर्शाती है।

शिक्षाविदों ने प्रवासियों को प्राप्त करने वाले देशों को चार श्रेणियों में बांटा है: पारंपरिक बस्तियों वाले देश, यूरोपीय देश जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद श्रम प्रवास को प्रोत्साहित किया, यूरोपीय देश जो अपने पूर्व उपनिवेशों से अपनी आप्रवासी आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त करते हैं, और वे देश जो पहले उत्प्रवास के बिंदु थे लेकिन हाल ही में आप्रवासी गंतव्य के रूप में उभरे हैं। [7] इन देशों को एक द्वंद्व के अनुसार वर्गीकृत किया गया है, या तो प्रवासी भेजने वाले या प्रवासी प्राप्त करने वाले देश, जिनके अलग-अलग शासन संबंधी मुद्दे हैं। लेकिन यह द्वंद्व कृत्रिम है, और यह मुद्दों को दृष्टि से अस्पष्ट करता है, उदाहरण के लिए, जब एक शुद्ध प्रवासी भेजने वाला देश प्रवासियों का 'रिसीवर' भी होता है। [8]

सभी बातों पर विचार करने पर, यूएई जैसे देशों में सबसे व्यापक बहुसांस्कृतिक आबादी है, जो कुल आबादी का लगभग 84% है। न केवल संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), बल्कि कतर जैसे देशों में भी 74%, कुवैत में 60% और बहरीन में उनकी पूरी आबादी का 55% हिस्सा विविध लोगों से भरा हुआ है जो विभिन्न देशों (भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान) से प्रवास करते हैं, जिससे जनसंख्या में 500% की वृद्धि हुई है, जो 1990 में 1.3 मिलियन से बढ़कर 2013 में 7.8 मिलियन हो गई। [9]

संयुक्त राज्य अमेरिका में दो सरकारों की तुलना में, ट्रम्प प्रशासन ने पिछले ओबामा प्रशासन में शरण और शरणार्थी चाहने वालों की संख्या को 12,000 से दोगुना कर दिया, और 2020 तक यह केवल 18,000 रह जाएगा। [अपडेट की आवश्यकता है] आव्रजन और सीमा सेवा के आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष के लिए अपेक्षित दावे [कब?] पिछले वर्षों की तुलना में लगभग तीन गुना बढ़ जाएंगे, जबकि पिछले प्रशासनों की तुलना में केवल आधे से भी कम स्वीकार किए गए हैं। ओबामा प्रशासन को वापस की गई रिपोर्टों की संख्या 110,000 है, जो 2020 तक 368,000 तक पहुँच जाएगी। [10]

इन देशों में, धन प्रेषण द्वारा सक्षम आर्थिक विकास, बाहर जाने वाले प्रवासी अधिकारों के समर्थन में अंतरराष्ट्रीय सक्रियता, साथ ही आने वाले प्रवासियों के अधिकार मुद्दे हैं। [11] जैसे-जैसे लोग आर्थिक रूप से समर्थन करने के लिए विभिन्न देशों में प्रवास करने लगे, उन्होंने अपनी आय को धन प्रेषण के रूप में भेजकर अपने देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान दिया। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने कहा कि विभिन्न देशों के लोगों ने 2015 में लगभग 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर भेजे, और यह हर साल बढ़ रहा है, 0.4% की वृद्धि के साथ, अगले वर्ष 586 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। [12]

आंकड़े
यह अनुमान लगाया गया है कि यदि आव्रजन के प्रतिबंधों को उदार बनाया जाए तो औसतन कम से कम "दुनिया की 50% आबादी विदेशी देश में रहेगी"। [13]
प्रवास के लिए प्रोत्साहन
आगे बढ़ाने वाले कारक

- खराब चिकित्सा देखभाल
- पर्याप्त नौकरियाँ नहीं
- कुछ अवसर
- आदिम स्थितियां[10,11,12]
- राजनीतिक भय
- यातना और दुर्व्यवहार का डर
- धार्मिक भेदभाव
- धन की हानि
- प्राकृतिक आपदाएं
- बदमाशी
- प्रणय-संबंध मिलने की संभावना कम

घटकों का प्रभाव

- नौकरी मिलने की संभावना
- बेहतर जीवन स्तर
- आनंद
- शिक्षा
- बेहतर चिकित्सा देखभाल
- सुरक्षा
- पारिवारिक लिंक
- अपराध कम
- प्रणय-संबंध पाने की बेहतर संभावनाएं

IV. निष्कर्ष

न्यूयॉर्क घोषणा के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास के लिये वैश्विक समझौते (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration) के विस्तार में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की। इस समझौते को दिसंबर 2018 में मोरक्को में आयोजित 'अंतर्राष्ट्रीय प्रवास पर अंतर-सरकारी सम्मेलन' में अंगीकृत किया गया था।
प्रत्येक वर्ष 8 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस (International Migrants Day) के रूप में मनाया जाता है।[17]

संदर्भ

1. "संग्रहीत प्रति". मूल से 10 नवंबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 5 नवंबर 2016.
2. ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 20 नवंबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 5 नवंबर 2016.
3. ↑ Chaichian, Mohammad. Empires and Walls: Globalisation, Migration, and Colonial Control, Leiden: Brill, 2014.
4. ↑ "संग्रहीत प्रति" (PDF). मूल से 11 फ़रवरी 2018 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि 5 नवंबर 2016.
5. जहां अप्रवासी छात्र सफल होते हैं: पीआईएसए 2003 में प्रदर्शन और सहभागिता की तुलनात्मक समीक्षा (पीडीएफ) । पेरिस: ओईसीडी प्रकाशन। 2006. आईएसबीएन 978-92-64-02360-48 मई 2023 को लिया गया ।
6. ↑ ओईसीडी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक, 2007, पेरिस: ओईसीडी प्रकाशन, 2007, स्रोत 18 जुलाई 2007 http://www.oecd.org/about/0,3347,en_2649_33931_1_1_1_1_1,00.html .
7. ↑ जहां अप्रवासी छात्र सफल होते हैं: पीआईएसए 2003 में प्रदर्शन और सहभागिता की तुलनात्मक समीक्षा (पीडीएफ) । पेरिस: ओईसीडी प्रकाशन। 2006. पृष्ठ 17-18। आईएसबीएन 978-92-64-02360-48 मई 2023 को लिया गया ।
8. ↑ ओईसीडी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक, 2007.
9. ^ "अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन और प्रवासन नीतियों में रुझान: के बारे में," OECD श्रम, रोजगार और सामाजिक मामलों के निदेशालय, OECD.org, 18 जुलाई 2007 http://www.oecd.org/about/0,3347,en_2649_33931_1_1_1_1_1,00.html .
10. ^ लियोनहार्ड्ट, डेविड (12 जून 2023)। "पश्चिमी राजनीति को आकार देने वाली ताकत" । द न्यूयॉर्क टाइम्स । मूल से 12 जून 2023 को संग्रहीत ।
11. ↑ जहां अप्रवासी छात्र सफल होते हैं (17-19).

12. ^ पामर, वेन; मिसबैक, एंटजे (2019-05-04)। "इंडोनेशिया में अनियमित प्रवासियों के श्रम अधिकारों को लागू करना" । थर्ड वर्ल्ड क्वार्टरली । 40 (5): 908–925. doi : 10.1080/01436597.2018.1522586 . ISSN 0143-6597 .
13. ^ "खाड़ी राज्यों को समझना" . www.washingtoninstitute.org . 2020-07-30 को लिया गया .
14. ^ शियर, माइकल डी.; कन्नो-यंग्स, ज़ोलन (2019-09-26)। "ट्रम्प ने शरणार्थियों की संख्या घटाकर 18,000 की, शरणस्थली के रूप में अमेरिका की भूमिका को कम किया" । द न्यूयॉर्क टाइम्स । आईएसएसएन 0362-4331 । 2020-07-30 को लिया गया ।
15. ^ बाल, चरणपाल एस.; पामर, वेन (मार्च 2020)। "इंडोनेशिया और परिपत्र श्रम प्रवास: शासन, प्रेषण और बहु-दिशात्मक प्रवाह" । एशियाई और प्रशांत प्रवासन जर्नल । 29 (1): 3–11. doi : 10.1177/0117196820925729 । ISSN 0117-1968 । S2CID 220053545 ।
16. ^ "यूरोप और रूस के कमजोर बने रहने के कारण 2015 में धन प्रेषण वृद्धि तेजी से धीमी हो जाएगी; अगले साल इसमें तेजी आने की उम्मीद है" । विश्व बैंक । 2020-07-30 को लिया गया ।
17. ^ डेलोगु, एम., डॉक्वियर, एफ., और मचाडो, जे. (2018)। श्रम और विश्व अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण: मानव पूंजी की भूमिका। जर्नल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, 23 (2), 223–258। doi : 10.1007/s10887-017-9153-z

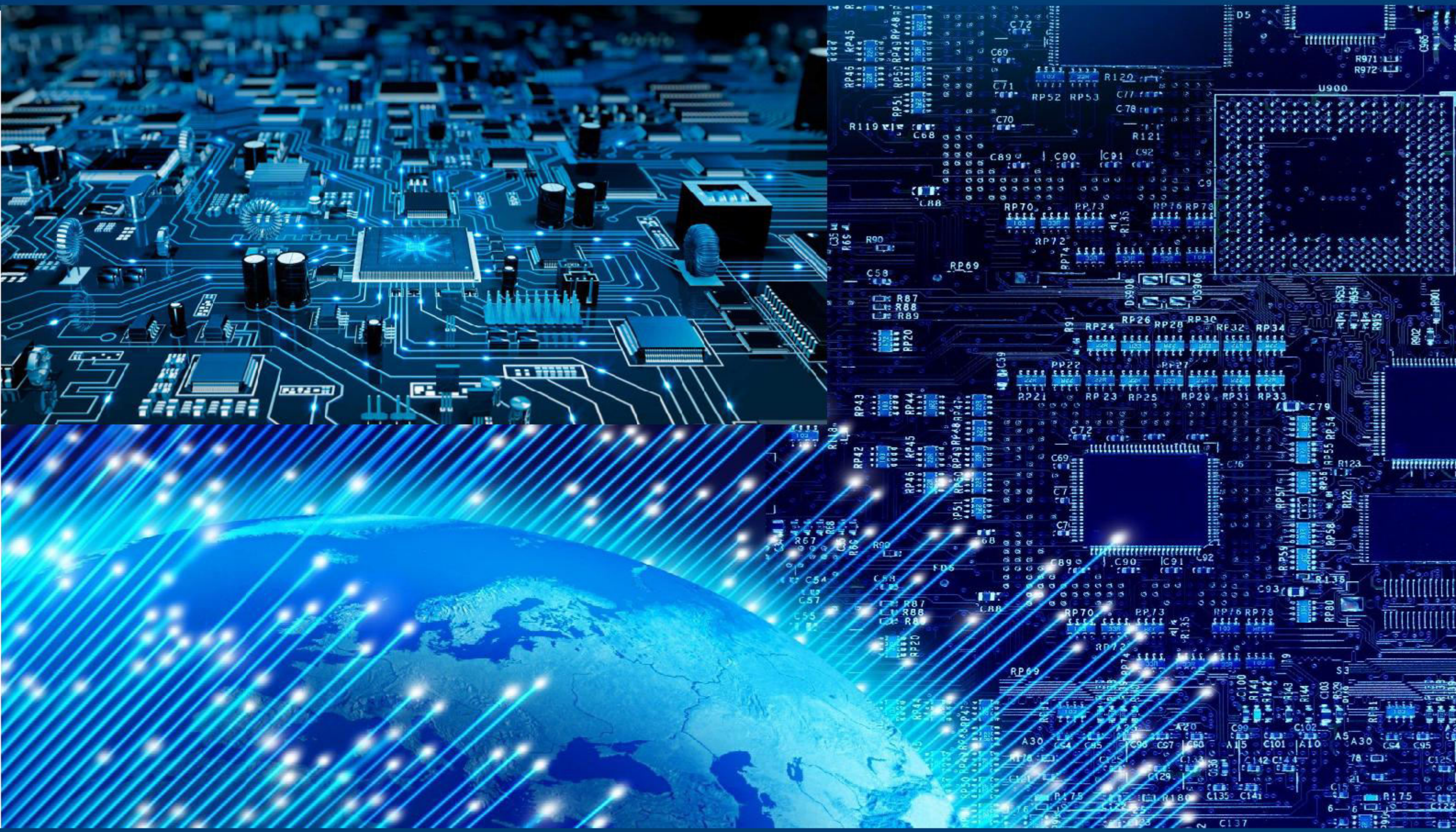

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| Mobile No: +91-9940572462 | Whatsapp: +91-9940572462 | ijarasem@gmail.com |

www.ijarasem.com